



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY.

सं. 944]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2004/कार्तिक 12, 1926

No. 944]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2004/KARTIKA 12, 1926

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2004

का.आ. 1211(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उसमें निहित शक्तियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट से संबंधित मानकों और नियमों के अतिक्रमण के लिए किसी उद्योग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को निदेश जारी करने की शक्ति, इन शर्तों के अधीन रहते हुए नीचे सारणी में दिए गए अनुसार अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को, प्रत्यायोजित करती है कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस प्रकार की कार्यवाही करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहत कर सकेगी या वह स्वयं उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का अवलंब ले सकेगी :—

सारणी

| क्रम सं. | बोर्डों के नाम | अधिकारिता |
|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड | सम्पूर्ण राज्य |
| 2. | झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सम्पूर्ण राज्य |
| 3. | उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सम्पूर्ण राज्य |

[सं. 1(35)/96-पी.एल.]

सुधीर भित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2004.

S.O. 1211(E).—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the powers vested in it under Section 5 of the said Act to the Chairman,

State Pollution Control Boards, as given in the Table below, to issue directions to any industry or any local or other authorities for the violations of the standards and rules relating to hazardous wastes notified under the Environment (Protection) Act, 1986, subject to the conditions that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself invoke the provisions of Section 5 of the said Act, if in the opinion of the Central Government, such a course of action is necessary in the public interest :—

TABLE

| S.No. | Name of the Boards | Jurisdiction |
|-------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Chhattisgarh Environment Conservation Board | Whole of State |
| 2. | Jharkhand Pollution Control Board | Whole of State |
| 3. | Uttaranchal Environment Protection and Pollution Control Board | Whole of State |

[No. 1(35)/96-PL]

SUDHIR MITAL, Jt. Secy.